



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ 1943 (श10)
(सं0 पटना 334) पटना, सोमवार 7 जून 2021

सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-15/2015/2417

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

10 मार्च 2021

दिनांक 03.03.2021 को मंडल कारा, नवादा में की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित सामग्री यथा—09 मोबाइल, 04 चार्जर, 03 मोबाइल बैटरी, एक हेडफोन एवं ताश दो गड़्डी बरामद की गई। इसके पूर्व दिनांक 11.08.2018 दिनांक 07.10.2018, दिनांक 12.12.2018, दिनांक 02.03.2019 दिनांक 30.05.2019, एवं दिनांक 24.11.2020 को भी इस कारा में जिला प्रशासन द्वारा की गई औचक छापेमारी में प्रत्येक बार प्रतिबंधित सामग्रियाँ बरामद हुई थी, जिसके लिए श्री महेश रजक, काराधीक्षक एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी एवं श्री रजक को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई थी। परन्तु इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हो पाया।

2. मंडल कारा, नवादा से बार-बार प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी से स्पष्ट है कि श्री महेश रजक द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है, अधीनस्थ कर्मियों पर उनका नियंत्रण नहीं है एवं कारा के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में वे पूर्णतः विफल हैं। उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कारा की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है।

3. अतः श्री महेश रजक, अधीक्षक, मंडल कारा, नवादा की कर्तव्यहीनता, उनके द्वारा कारा सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही बरतने, अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हो पाने एवं कारा के प्रबंधन में पूर्णतः विफल रहने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, मोतिहारी निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उन्हें संलग्न कारा से नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 334-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>